यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, महिला जिला चिकित्सालय, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, महिला जिला चिकित्सालय, हरिद्वार के माह 07/2013 से 06/2018 तक के लेखा– अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0के0 गुप्ता, **श्री खुशी राम** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (**तदर्थ**) द्वारा दिनॉक 21.07.2018 से 25.07.2018 तक श्री **दानिश इकबाल**, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री **राजबहादुर** सहायक लेखापरीक्षा **अधिकारी** एवं मो0 सलीम खान, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 19.07.2013 से 23.07.2013 तक श्री **डी0 के0 पिपलानी** , वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 05/2008 से 06/2013 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2013 से 06/2018 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

इकाई द्वारा जनपद में स्थापित चिकित्सा इकाईयों के माध्यम से चिकित्सा, स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार कल्याण एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं का सम्पादन, अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण जनपद हरिद्वार है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	0	12.45	298.04	264.17	75.04	80.37	0	33.87	0	7.12
2016–17	0	7.12	303.09	291.36	75.06	55.26	0	11.73	0	26.92
2017–18	0	26..92	416.79	409.46	40.00	55.12	0	7.33	0	11.8
2018–19 (06/2018 तक)	0	11.80	332.73	133.01	0.00	0.00	0	0	0	0

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त/आवंटन	ब्याज	कुल उपलब्ध धनराशि	व्यय	अतिंम अवशेष
2015–16*	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	40.26	165.39	0.84	206.50	165.76	45.30*
2016–17	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	45.30	174.13	0.96	220.38	162.22	58.14
2017–18	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	58.14	182.70	1.88	242.72	168.55	74.16

* वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु कार्यालय द्वारा एडिसनेलिटि एवं टीकाकरण मद का केवल अंतिम अवशेष (1.95, 2.60) ही उपलब्ध कराया गया था।

(iii) इकाई को बजट आबंटन केन्द्रांश एवं राज्यांश के रुप में राज्य स्तर से अवमुक्त किया जाता है तथा जिला योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त होता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "**सी**" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

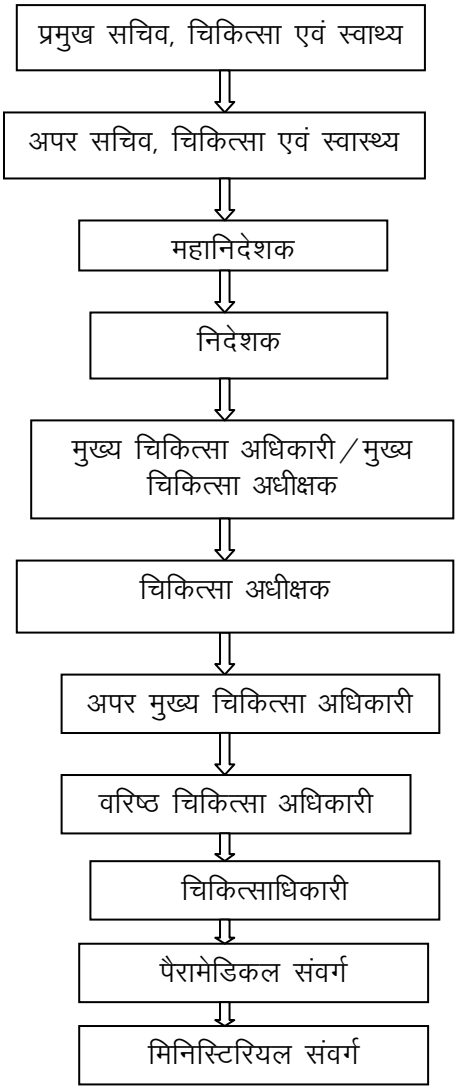

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **मुख्य चिकित्सा अधिक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य चिकित्सा अधिक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। **02/2016 तथा 02/2015** को अधिकतम व्यय (**चिकित्सा प्रबंधन समिति तथा राज्य ब्यय**) के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

<u>भाग दो -"ब"</u>

प्रस्तर 01: जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत रु. 53.02 लाख का विलंब से भुगतान एवं 116.91 लाख का नियमों के विरुद्ध भुगतान।

जननी सुरक्षा योजना की ऑपरेशनल गाइडलाइंस के अनुसार प्रसव की संभावित तिथि से 16 से 20 सप्ताह पूर्व प्रत्येक लाभार्थी हेतु जेएसवाई कार्ड भरा जाना चाहिए एवं सभी वांछित दस्तावेजों सहित उक्त कार्ड प्रसव की संभावित तिथि से 2 सप्ताह पूर्व संबन्धित स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकृत चिकित्साधिकारी के पास सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि लाभार्थी को स्वास्थ्य केन्द्र से डिस्चार्ज करते समय उसको चैक प्रदान किया जा सके एवं लाभार्थी को चिकित्सालय से डिस्चार्ज करते समय अनिवार्य रूप से उसे देय धनराशि का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। यह धनराशि ग्रामीण लाभार्थियो के लिए रू0 1400/- प्रति लाभार्थी तथा शहरी लाभार्थियो के लिए रू0 1000/- प्रति लाभार्थी है। प्रसव से सात दिन पूर्व अथवा सात दिन पश्चात किया गया भुगतान अवैध माना जाएगा।

इकाई द्वारा उपलब्ध कराई गयी अभिलेखो की जांच मे पाया गया की वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत कुल 15989 संस्थागत प्रसव हुए थे जिसमे ग्रामीण क्षेत्र के 2403 लाभार्थियो को तथा 1938 शहरी लाभार्थियों को 7 से अधिक दिन के बाद प्रोत्साहन राशि का निर्गत किया गया था। जिसका विवरण निमन्वत था-

वित्तीय वर्ष	कुल प्रसव	प्रसव के 7 दिन से अधिक की देरी से चेक जारी होने वाले लाभार्थियो की संख्या (ग्रामीण)	भुगतान की गयी राशि @ 1400	प्रसव के 7 दिन से अधिक की देरी से चेक जारी होने वाले लाभार्थियो की संख्या (शहरी)	भुगतान की गयी राशि @ 1000
2014-15	3927	238	333200	165	165000
2015-16	3764	282	394800	156	156000
2016-17	3788	757	1059800	642	642000
2017-18	4510	1126	1576400	975	975000
योग	15989	2403	3364200	1938	1938000

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अधिकांश प्रकरणों में जननी सुरक्षा योजना के कार्ड प्रसव के दिन भरे गये थे तथा प्राय: लाभार्थियो को भुगतान सात से अधिक दिन की देरी से और कई माह की देरी से किया गया था। जांच मे यह भी पाया गया कि विगत वर्षो मे बहुत सारे लाभार्थियो को भुगतान संप्रेक्षा तिथि तक भी नहीं किया गया था।
इस संबंध मे उल्लेखनीय तथ्य यह है कि वर्ष 2018-19 मे अप्रैल 2018 से 17.07.2018 तक (जैसा कि पंजिका मे इंदराज दर्ज है) 1569 प्रसव जिला महिला चिकित्सालय मे हो चुके थे परन्तु उक्त प्रसव के सापेक्ष 524 लाभार्थियो का भुगतान किया गया था शेष का भुगतान होना शेष था, भुगतान पंजिका से यह भी परिलक्षित था कि भुगतान तारतम्य से नहीं किया जा रहा था बल्कि पिक अँड चूज किया जा रहा था। जननी सुरक्षा योजना प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराये गए आकड़ों मे तथा चिकत्सालय द्वारा उपलब्ध कराये गए आकड़ों मे भिन्नता थी जिसके कारण उक्त आकड़ों के प्रमाणिकता संदिग्ध थी। ।
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि जननी सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन मे नियमो एवं प्रविधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया और 53.02 लाख का अनियमित व विलंब से भुगतान किया गया था जो जननी सुरक्षा योजना के नियमो एवं प्राविधानों का उलंघन था। उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर मे कहा कि भविष्य में अनुपालन किया जाएगा।

राष्ट्रीय कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना अप्रैल 2005 में प्रारम्भ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना था ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु की दर को कम किया जा सके। जननी सुरक्षा योजना की निर्देशिका के अनुसार सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव कराने पर महिला को प्रोत्साहन राशि के रुप में ग्रामीण क्षेत्र में रु0 1,400 एवं शहरी क्षेत्र में रु0 1,000 का भुगतान चैक के माध्यम से किया जाना चाहिए। योजना के अधीन लाभार्थी को प्रोत्साहन निधि के वितरण हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार (i) प्रसव की सम्भावित तिथि से 16 से 20 सप्ताह पूर्व प्रत्येक महिला लाभार्थी हेतु जे0एस0वाई0 कार्ड भरा जाना चाहिए एवं सभी वांछित दस्तावेजों सहित उसे प्रसव की सम्भावित तिथि से 2 सप्ताह पूर्व सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकृत चिकित्सा अधिकारी के पास सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि लाभार्थी को डिस्चार्ज करते समय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा सके, (ii) लाभार्थी को प्रसव के पश्चात् कम से कम 48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्र में रुकना आवश्यक है,

(iii) आशाओं को नकद प्रोत्साहन राशि दो किश्तों में दी जाएगी, जिसमें प्रथम 50 प्रतिशत राशि लाभार्थी महिला के स्वास्थ्य केन्द्र से डिस्चार्ज के पश्चात् दी जाएगी वशर्ते सम्बन्धित आशा गर्भवती महिला के साथ स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव के समय रही हो तथा अवशेष 50 प्रतिशत राशि प्रसव के एक माह पश्चात् दी जाएगी जब बी0सी0जी0 वैक्सीन बच्चे को दी गयी हो और नवजात शिशुओं के जन्म के समय आशा ने देखभाल और जन्म के पंजीकरण में सहायता की हो।

कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला जिला चिकित्सालय, हरिद्वार** के जननी सुरक्षा योजना से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि वर्ष 2014–15 से 2018–19 (06/2018) तक कुल 17139 लाभार्थियों एवं 15650 आशाओं को क्रमशः रु0 215.35 लाख एवं रु0 82.37 लाख का भुगतान किया गया। लाभार्थियों को किए गये कुल भुगतान रु0 215.35 लाख में से रु0 34.63 लाख अनियमित था क्योंकि प्रसव के पश्चात् लाभार्थी स्वास्थ्य केन्द्र में न्यूनतम निर्धारित 48 घण्टे रुके ही नहीं। आगे, अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि लाभार्थियों एवं आशाओं को किया गया रु0 116.91 लाख (महिला लाभार्थी : रु0 34.63 लाख एवं आशा : रु0 82.28 लाख) का भुगतान जे0एस0वाई0 योजना के दिशा–निर्देशों के विपरीत किया गया था, जिसके उदाहरण निम्नवत् हैः–

1. शत–प्रतिशत प्रकरणों में जे0एस0वाई0 कार्ड प्रसव के दिन ही भरे गये थे।
2. संस्थागत प्रसव कराने वाली 1211 महिलाओं को प्रोत्साहन राशि रु0 34.63 लाख बिना न्यूनतम 48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्र में रुके प्रदान किया गया था।
3. समस्त प्रकरणों में आशाओं को प्रदत्त प्रोत्साहन राशि रु0 82.28 लाख एक ही किश्त में भुगतान किया गया था, जबकि आशाओं को प्रोत्साहन राशि दो किश्तों में दी जानी चाहिए थी।

इस प्रकार, योजना के अधीन प्रोत्साहन निधि वितरण हेतु निर्धारित दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हुए योजना के अन्तर्गत रु0 116.91 लाख का अनियमित व्यय भुगतान किया गया। वर्ष 2014–15 से 2018–19 (06/2018) तक हुए संस्थागत प्रसवों एवं प्रोत्साहन राशि वितरण का विवरण निम्नवत् हैः–

वर्ष	क्षेत्र	कुल संस्थागत प्रसवों की संख्या	48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्रों में रुकने वाले लाभार्थियों की संख्या	48 घण्टे से कम स्वास्थ्य केन्द्रों में रुकने वाले लाभार्थियों की संख्या (Col.3–4)	भुगतान किए गये लाभार्थियों की संख्या	प्रदत्त राशि (ग्रामीण @ 1400 एवं शहरी @ 1000)	देय राशि (ग्रामीण @ 1400 एवं शहरी @ 1000)	आधिक्य भुगतान (Col.7 – Col.8)	आशाओं की संख्या	आशाओं को भुगतान (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2014-15	ग्रामीण	2485	1988	497	2485	3479000.00	2783200.00	695800.00	2318	1390800.00
	शहरी	1442	1134	308	1442	1442000.00	1134000.00	308000.00	1306	522400.00
2015—16	ग्रामीण	2372	2182	190	2372	3320800.00	3054800.00	266000.00	2293	1365800.00
	शहरी	1392	1206	186	1392	1392000.00	1206000.00	186000.00	1334	533600.00
2016—17	ग्रामीण	2361	2120	241	2361	3305400.00	2968000.00	337400.00	2173	1303800.00
	शहरी	1427	1245	182	1427	1427000.00	1245000.00	182000.00	1407	562800.00
2017-18	ग्रामीण	2885	2271	614	2885	4039000.00	3179400.00	859600.00	2437	1462200.00
	शहरी	1625	1219	406	1625	1625000.00	1219000.00	406000.00	1349	539600.00
2018-19 (06/2018)	ग्रामीण	773	675	98	773	1082200.00	945000.00	137200.00	667	400200.00
	शहरी	423	338	85	423	423000.00	338000.00	85000.00	366	146400.00
योगः–	ग्रामीण	10876	10832	44	10876	15226400.00	12930400.00	2296000.00	9888	5922800.00
	शहरी	6309	5142	1167	6309	6309000.00	5142000.00	1167000.00	5762	2304800.00
महायोगः		17185	15974	1211	17185	21535400.00	18072400.00	3463000.00	15650	8227600.00

इस प्रकार, योजना के अधीन प्रोत्साहन निधि वितरण हेतु निर्धारित दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हुए योजना के अन्तर्गत रु0 116.91 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर मे बताया कि आशाओं की ब्यस्तता के कारण जेएसवाई कार्ड समय से नहीं भरे गए और आशाओं के अनुरोध पर एकमुश्त भुगतान किया गया। महिलाओं के अनुरोध एवं उनके रिश्तेदारों के दबाव के कारण उन्हें 48 घंटे से पहले छोड़ा गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना के अधीन प्रोत्साहन निधि के वितरण हेतु निर्धारित शर्तों के अनुपालन पर ही लाभार्थी को भुगतान किया जाना चाहिए था, जिसकी एक मुख्य शर्त यह थी कि लाभार्थी को कम से कम 48 घंटे स्वास्थ्य केंद्र में रुकना आवश्यक होगा। इस प्रकार योजना मे निर्धारित शर्तों का अनुपालन न किए जाने पर उनको देय भुगतान अमान्य था।

अतः जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत रु. 53.02 लाख के अनियमित भुगतान एवं 116.91 लाख का नियमों के विरुद्ध भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-01: रु. 11.80 लाख की शेष धनराशि को समर्पित नहीं किया जाना।

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होता है कि सम्यक विचारोप्रान्त बजट की मांग प्रस्तुत करे तथा धनराशि के अवशेष रहने की स्थिति में यथा समय समर्पित कर दिया जाना चाहिये जिससे कि अन्यत्र उसका उपयोग हो सके।

जिला महिला चिकित्सालय हरिद्वार को, अनुदान संख्या 12 मे लेखाशीर्ष 2210-01-110-15 के अन्तर्गत के रूप मे वर्ष 2015-16 मे रुपए 75.00 लाख वर्ष 2016-17 मे रुपए 75.00 लाख तथा वर्ष 2017-18 मे रुपए 40.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी। उक्त धनराशि के धनावंटन सम्बन्धी शासनादेश मे स्पष्ट रूप से निर्देशित था कि आवंटित राशि के आहरण हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक नियमानुसार बिल तैयार करके अध्यक्ष चिकित्सा प्रबन्धन समिति से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर कोषागार मे बिल प्रस्तुत करेंगे तथा धनराशि आहरित करेंगे, जो भी धनराशि उपयोग न होने की सम्भावना हो उसको प्रत्येक दशा मे 31 मार्च या उससे पहले निदेशक वित्त को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यालय जिला महिला चिकित्सालय हरिद्वार के बजट संबंधित लेखा अभिलेखो की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि जिला महिला चिकित्सालय अल्मोड़ा को लेखाशीर्ष 2210-01-110-15 के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त हो रहा रहा था जिसे कोषागार से आहरित कर चिकित्सा प्रबंधन समिति के खाते मे रखा जाता था। चिकित्सा प्रबंधन समिति खाते मे यूज़र मद मे प्राप्त राशि भी जमा व व्यय होती है जिसके कारण अनुदान मद मे प्राप्त राशि के सापेक्ष किए गए व्यय की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, जिसका विवरण निमन्वत था -

(धनराशि लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आवंटन	ब्याज	कुल उपलब्ध राशि	व्यय	शेष
2015-16	12.45	75.00	0.04	87.50	80.38	7.12
2016-17	7.12	75.00	0.07	82.19	55.27	26.92
2017-18	26.27	40.00	00	66.92	55.13	11.80

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि जिला महिला चिकित्सालय हरिद्वार मे लेखाशीर्ष 2210-01-110-15 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष धनराशि अवशेष थी, परन्तु शासन को प्रेषित बी॰एम॰-4 मे सम्पूर्ण धनराशि का व्यय दर्शाया गया था तथा सम्पूर्ण धनराशि का त्रुटिपूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया था। शासनादेश मे निहित प्राविधानों के इतर न केवल अनियमित व्यय किया गया अपितु शासन को अवास्तविक सूचना प्रेषित किया गया तथा वर्ष 2017-18 के अन्त मे उक्त खाते मे रुपए 11.80 लाख की की धनराशि शेष थी जिसका न तो उपयोग किया गया था और ना ही अवशेष राशि समर्पित किया गया था।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि प्राप्त बजट को आहरित कर समिति के खाते मे जमा किया जाता है तथा अवशेष धनराशि को आगामी

वित्तीय वर्ष में उपयोग मे लाया जाता है। अवशेष धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र आगामी वित्तीय वर्ष में निदेशालय को प्रेषित किया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपयोगिता प्रमाणपत्र उसी वर्ष प्राप्त किया जाना चाहिए था और धनराशि का उपयोग भी उसी वित्तीय वर्ष मे किया जाना चाहिए था। अतः रुपए 11.80 लाख की शेष धनराशि को समर्पित नहीं किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-02 : चिकित्सको तथा सहयोगी स्टाफ के पद रिक्त रहने के कारण चिकित्सा सेवाओं पर दुषप्रभाव।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय, हरिद्वार, हरिद्वार शहर के मध्य स्थित है जहाँ पर प्रति वर्ष औसतन 65,000 से 70,000 महिला रोगी पंजीकृत होती हैं, और अत्यधिक संख्या मे नवजात शिशुओं का जन्म होता है, विगत चार वर्षो मे (2014-15 मे 3927 वर्ष 2015-16 मे 3764, वर्ष 2016-17 मे 3788 तथा वर्ष 2017-18 मे 4510) कुल 15989 संस्थागत प्रसव हुए थे, ऐसी स्थिति मे स्टाफ की कमी एक गंभीर समस्या है। जिला महिला चिकित्सालय, हरिद्वार, के अन्तर्गत चिकित्सक एवं सहयोगी स्टाफ तथा प्रशासनिक कर्मचारियों के 49 पद स्वीकृत थे, जिसके सापेक्ष 41 चिकित्सक एवं सहयोगी स्टाफ की तैनाती थी, तथा 08 पद रिक्त थे।

केवल रिक्त पदो का विवरण निमन्वत था-

पदनाम	**स्वीकृत पद**	**कार्यरत**	**रिक्त पद**
अधिक्षिका	1	0	1
बाल रोग विशेषज्ञ	1	0	1
एमेर्जेसी चिकित्सा अधिकारी (ई॰एम॰ओ॰)	2	1	1
वरिष्ठ निश्चेतक	1	0	1*
चीफ फार्मेसिस्ट	2	1	1
चपरासी	1	0	1
पुरुष सामाजिक कार्यकर्ता	1	0	1
ओ॰टी॰ए॰	1	0	1
			8

विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह कि उक्त चिकित्सालय मे रोगियों की संख्या अत्यधिक थी उसके बाद भी मुख्य चिकित्सा अधिक्षिका का एक पद तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ का एक पद, अर्थात चिकित्सकों के मात्र तीन पद स्वीकृत था जो आवश्यकता से काफी कम था।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जिला महिला चिकित्सालय हरिद्वार कार्यालय मे चिकित्सको एवं सहयोगी स्टाफ के 08 पद (16.32%) रिक्त थे। पदो के रिक्त रहने के कारण स्वास्थ सेवाओं पर एवं सरकारी योजनाएँ के संचालन तथा अनुश्रवण के कार्यो मे बाधा व कठिनाई होना स्वाभाविक था तथा स्थानीय जनता को मिलने वाले स्वास्थ सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर में अवगत कराया कि रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं होने के कारण कार्यरत चिकित्सकों द्वारा अधिक कार्य किया जा रहा है और साथ ही रिक्त पदों को भरने के लिए निदेशालय से लगातार पत्राचार किया जा रहा है।

अतः चिकित्सको तथा सहयोगी स्टाफ के पद रिक्त रहने के कारण चिकित्सा सेवाओं पर दुषप्रभाव का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-03 : रु. 3.94 लाख की चिकित्सीय सामग्री का क्रय बिना कोटेशन के किया जाना ।

सामान्य वित्तीय नियम-2005 (160) प्रावधानित करता है कि -All government purchases should be made in a transparent, competitive and fair manner, to secure best value for money. इसके अतिरिक्त उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 का नियम संख्या-32(1)(b) निर्देशित करता है कि -To ensure reliability and capability a system of registration of contractors should have adequate legal status to enter into the procurement contract.

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिक्षिका, महिला जिला चिकित्सालय, हरिद्वार की निविदा से संबन्धित दस्तावेजों की नमूना लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि सामग्री संपूर्ति मद में क्रय करते समय कोटेशन देने वाले आपूर्तिकर्ता के वैधानिक स्थिति को ध्यान में नहीं रखा गया। आपूर्तिकर्ता के पंजीकरण, TIN, UAST, CST का उल्लेख नहीं होने के बावजूद कोटेशन प्राप्त किया गया। वर्ष 2013-14 में रु. 1.87 लाख, वर्ष 2014-15 में रु. 0.13 लाख, वर्ष 2015-16 में रु. 0.51 लाख एवं वर्ष 2016-17 में रु. 1.43 लाख अर्थात कुल रु. 3.94 लाख की चिकित्सीय सामग्री का क्रय बिना उचित खरीद प्रक्रिया के पालन के किया गया जो कि नियमों के विपरीत एवं अनियमित था।

उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि भविष्य में कोटेशन प्राप्त कर क्रय किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त क्रय हेतु भी कोटेशन प्राप्त किया जाना चाहिए था।

अतः रु. 3.94 लाख की चिकित्सीय सामग्री का क्रय बिना कोटेशन के ही किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या	टिप्पणी
111/2013-14	0	02	विगत लेखा परीक्षा के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सीधे ही महालेखाकार(ले0प0) देहरादून को इकाई द्वारा भेजी जाएगी।

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

1. औषधि की स्टॉक पंजिकाओं का रख–रखाव उचित ढंग से किया जा रहा था।
2. कार्यालयीन अभिलेखों का रख–रखाव उचित ढंग से किया गया था।

भाग–V

कार्यालय **प्रधान** महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार ब्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

(i) } –– शून्य ––
(ii) }

1. सतत् अनियमितताऐंः

(i) } –– शून्य ––
(ii) }

2. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	डा0 भवानी पाल	मुख्य चिकित्सा **अधीक्षिका**	08.08.2012 – वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.